


कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-8/विविध/2018

दिनांक : 15.10.18


-: संशोधन आदेश :-

प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के कॉलेज शिक्षा में चयन हो जाने के उपरान्त विभाग परित्याग करने के संबंध में इस विभाग द्वारा दिनांक 05.10.2018 के पश्चात् प्रसारित अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित पंक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति पश्चात् ही कार्यमुक्त की कार्यवाही अमल में लाई जावे के स्थान पर यदि कार्मिक निर्वाचन कार्य में नियुक्त है तो संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे, पढ़ा जावे । शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त संस्थाप्रधान ।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, संभाग कार्यालय ।
3. समस्त अनुभाग अधिकारी, सी-1,2,3,4 ।
4. कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें ।
5. रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर